उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-1979/ग्यारह-9/(235)12-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(150)-2016

लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शकित का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में, दिनांक 02 जनवरी, 2016 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 83 पर, निम्नलिखित प्रविषिट स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
83	प्लासिटक फुटवियर जिनका अधिकतम फुटकर मूल्य तीन सौ रूपये से अधिक हो।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in